कौशलराम v/s बिहारीलाल

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
22-9-20	वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 CPC व प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 R.T.Act. खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज मूल दस्तावेज वापस दिये जायें बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[1]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
150/2020	31.8.2020	22.09.2020

उनवान

[1] लीलाराम पुत्र शम्भू जाति अहीर निवासी ग्राम अन्तौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
-प्रार्थी

बनाम

[1] शिवलाल
[2] हरचन्द पुत्रान कुशाल्या
[3] कालीका
[4] मेहरचन्द पुत्र हरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम अन्तौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टी. के. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा. दी.

उपस्थित :-

1. श्री पवन कुमार यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने न्यायालय में उपरोक्त शीर्षक युक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टी. के. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा. दी. का इस आशय का [illegible] कि विवादित आराजी) ख. नं. 472 मिन प्रार्थी [illegible] की काश्त की आराजी है। [illegible] है। प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण के [illegible] आराजी के कुछ हिस्से में मकानात बना रखे है (जो आराजी की उत्तरी ओर पर है)।
निम्नवत -

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख.नं. 472 की उत्तरी डोल के साथ निकास का रास्ता छोड़ रखा है जिसमें मिल प्रार्थी आते व जाते है। कुछ आराजी का हिस्सा रास्ते के लिए मिल प्रार्थी व तत्र प्रतिवादीगणा ने छोड़ रखा है। कुछ हिस्सा अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 471 दक्षिण सिरा पर रास्ते के लिए है, इस बाबत मिल प्रार्थी के पिताजी के पक्ष में दिनांक 17.9.15 को एक इकरारनामा पेश श्री अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने लिखा था। जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने मिल प्रार्थी के पिताजी से एक लाख रुपये लेकर 15x196 फीट जमीन का रास्ता। इस अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ख.नं. 471 में से क्रय किया था। और मौके पर कब्जा आराजी ख.नं. 471 की दक्षिणी डोल पर मिल प्रार्थी के पिताजी को करा दिया। मौके पर रास्ता दोनों आराजीयात ख.नं. 471 व 472 में बने हुए है ख.नं. 471 के तरफ दक्षिण व 472 के तरफ उत्तर दोनों ख. नम्बरान में से बना हुआ है। अप्रार्थीगण असभ्य, मुंहफट व लड़ाकू व्यक्ति है। जो ख.नं. 472 जो कि मिल प्रार्थी व तत्र प्रतिवादीगणा की कब्जा काश्त की आराजी है उसकी डोल के अन्दर जाकर यानि डोल को तोड़कर पुख्ता दीवार बनाना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण सफल अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते तो मिल प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त अप्रार्थीगण आपके न्यायिक हुक्म अस्थाई स्थगन से पाबन्द करने का अधिकारी है।

बाद का पेश होने से पूर्व विवादित आराजी पर [illegible] कुमार पाठक एडवोकेट द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट का पेश किया हुआ था। बाद पेश होने पर कमिश्नर का [illegible] न्यायालय में पेश होने के लिए आवश्यक [illegible] मिल प्रार्थी - आदेशिका को तुरन्त जारी [illegible] अर्जेन्ट नेचर का कुछ होने के कारण आगामी पेशी पर जवाब प्रार्थना पत्र का पेश करने व प्रार्थना पत्र पर बहस करने की जारी की गई। दिनांक 7.9.20 को अप्रार्थीगण ने अपना जवाब पेश लगातार -

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जिसमें अंकित किया कि खसरा नम्बर 472 के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है तथा ख.नं. 471 के तीन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम का कब्जा दर्शाया हो रहा है। प्रार्थी व तर.प्रति. शुद्ध दर्ज होकर न्यायालय में वादी आये है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण के अपने जिसमान में दर्ज किया है कि हमने ख.नं. 472 की उत्तरी डोल पर मकान बना रखे है जबकि डोल पड़ौसी खातेदारी की भी साझाबात की रही है तथा प्रार्थी व तर: प्रतिवादी ने दर्ज किया कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.9.2015 को 'अवस्थानात्मक' हमारे पक्ष में किया है। जबकि हमारे द्वारा वादी व तर.प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई बयान का अवस्थानात्मक नहीं किया। प्रतिवादीगण सं 1 व 2 ने अपनी ख.नं. 471 की दक्षिणी डोल पर वादी के बिना कोई कब्जा नहीं किया जो जिसमान नं. 4 में अंकित किया है वह डोल वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण सहस्र की ख. नम्बर 471 व 472 के मध्य की डोल है। प्रार्थी व तर: प्रतिवादीगण की मौका में वस्थानात्मक है जो हमारे खाते शुद्ध दर्ज होकर पेश नहीं किया है उपरोक्त प्रक्रिया पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रक्रिया पत्र में आगामी पेशी दिनांक 7.2020 नौबत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रक्रिया पत्र नं. धा. 39 दिनांक 7 जा. श्री पेश किया एवं साथ ही बयान पत्र मनीराम, सत्यवीर, गुड्डा, छीतर, ... व कीर्तिकुमार के पेश किये। प्रक्रिया पत्र में ... आगामी पेशी नौबत की गई।

बहस ... सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन प्रक्रिया पत्र में अंकित तथ्यों

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Bhai Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

को दोहराया और कहा कि प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] नियम 7 को अनुमति प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर [illegible] मंगवाई जावे। (वह प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण अस्वीकार करने का कारण है कि यह प्रार्थना पत्र वाद/प्रार्थना पत्र के निस्तारण में देरी करने की नीयत से प्रस्तुत किया है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 R.T.Act. में प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि मैं प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण ने ख.नं. 472 के कुछ हिस्से में रिहायशी मकान बना रखे हैं (जो ख.नं. 472 की उत्तरी ओर पर स्थित है। और खेत के चारों तरफ निकास छोड़ रखा है। जिसमें मैं प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण आते-जाते हैं। रास्ता मैं प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण ने आने-जाने के लिए छोड़ रखा है। कुछ हिस्सा अप्रार्थीगण की खातेदारी ख.नं. 471 का दक्षिणी सिरा पर रास्ते के लिए है। इस बाबत बनी (प्रार्थी के पिताजी) के पक्ष में दिनांक 17.9.2015 को एक इकरारनामा बैय भी लिखा था जिसमें प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने एक लाख रुपये मैं प्रार्थी के पिताजी से लेकर 15 x 196 वर्ग फीट का रास्ता बाबत इकरारनामा लिखकर मौके पर कब्जा ख.नं. 471 की दक्षिणी ओर पर मैं प्रार्थी के पिताजी को करा दिया। लेकिन अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.8.20 को सुबह करीब 8 बजे विवादित रास्ते में ईंट व बजरी डाल दी और कहा कि रास्ते पर कब्जा करेंगे यदि अप्रार्थीगण रास्ते को काश्त में ले लेंगे तो मैं प्रार्थी का आवागमन हमेशा हमेशा के लिए बन्द हो जावेगा। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] अपूरणीय क्षति होगी। [illegible] प्रार्थी को [illegible] की नजीर पेश की [illegible] 2004(2) पेज 808

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी ने अपना वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। ख.नं. 472 के वादी/प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काश्तकार है। तथा ख. नं. 471 के किता अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज हो रहा है। प्रार्थी व अप्र. प्रतिवादीगण ने शुद्ध स्वत्व होकर वाद पेश नहीं किया है। किन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पिताजी के हक में कोई इकरारनामा नहीं किया है। प्रार्थी ने अपने [illegible] में [illegible] दिया है कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने आराजी ख. नं. 471 की पश्चिमी ढोल पर वादी के पिताजी को कब्जा कायम करा दिया था तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद इस ढोल पर काबिज व दाखिल है जबकि उक्त ढोल वादी व अप्र. प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण [illegible] की ख. नं. 471 व 472 की मध्य की ढोल है। स्पष्ट होता जाहिर है कि प्रार्थी हमारे हकूक पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी उन तथ्यों से न्यायालय [illegible] सही नहीं कर पाया है अतः ऐसी स्थिति प्रार्थी को असुविधा हानि भी नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी ख. नं. 471 में 15x196 फीट रास्ते के लिए अप्रार्थीगण 1 व 2 से इकरारनामा करवाया, लेकिन अप्रार्थीगण अब उक्त इकरारनामा को नहीं मानते हुए विवादित आराजी रास्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के हक में कोई इकरारनामा नहीं करवाया। प्रार्थी द्वारा वाद भी शुद्ध स्वत्व होकर पेश नहीं किया गया है। इसके इकरारनामा पर गौर किया जिससे प्रतीत है कि प्रार्थी अपने स्तर से कभी भी रजिस्टर्ड करा सकता है लेकिन प्रार्थी द्वारा इकरारनामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबन्दी ख. नं. 471 व 472, नकल गिरदावरी [illegible], नकल गिरदावरी मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित [illegible] नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.6.20 व नकल गिरदावरी मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 24.6.20 में भी रास्ता बाबत कोई बात अंकित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

Scanned with CamScanner

[6]

प्रार्थी द्वारा पेश वादपत्र व प्रार्थना पत्र मीयाद बाधा में पेश नहीं किये गये हैं। ~~आम~~ रास्ता आम राजस्व रिकार्ड द्वारा पूर्व से नियत बनाये हुए हैं। (अस्थायी प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 R.T. Act व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व संबंधित धारा 151 जा.दी. खारिज योग्य है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व संबंधित धारा 151 जा.दी. व प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner